



माननीय मंत्री,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग



माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा मत्स्य कृषकों/मछुआरों के लाभार्थ योजनाएँ

क्र० सं०	योजना का नाम	ऋण/अनुदान/लाभ दर	आवश्यक आर्हतायें
1	मत्स्य कृषकों का मत्स्य प्रशिक्षण की योजना।	<ul style="list-style-type: none"> राज्य से बाहर आई.सी.ए. आर. के विभिन्न संस्थानों/मात्स्यिकी महाविद्यालय में मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण। राज्य स्तरीय मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में मत्स्य कृषकों को छह दिवसीय प्रशिक्षण। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में मत्स्य कृषकों को दस दिवसीय प्रशिक्षण। शत प्रतिशत अनुदानित। 	<ul style="list-style-type: none"> निजी/पट्टा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हों अथवा मत्स्य पालन करना चाहते हों बैंक ऋण/स्वलागत से तालाब निर्माण/हैचरी/फिस फिड मिल के अधिष्ठापन आदि हेतु आवेदन समर्पित किये हो, आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा संलग्न कर संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करेंगे।
2.	अनुदानित दर पर मत्स्य बीज उत्पादन/वितरण की योजना	<ul style="list-style-type: none"> 50 % अनुदान। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षित मत्स्यबीज उत्पादक मत्स्य पालकों को 5000 अंगुलिकाएँ प्रति हे० की दर से तालाबों में संचयन करने पर अनुदान देय। एक मत्स्य पालक को अधिकतम एक हे० तथा ग्रुप में दो हे० तालाब पर अनुदान देय होगा।
3.	आर्द्र जल भूमि का विकास की योजना	<ul style="list-style-type: none"> 3.88 लाख प्रति हेक्टेयर की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान। शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुक द्वारा वहन। 	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन पत्र के साथ अपना फोटो, तालाब के जलक्षेत्र का विवरण, भूमिस्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा की प्रति/तालाब का फोटो तथा स्वहस्ताक्षरित फोटो पहचान पत्र संलग्न किया जाएगा।
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	<p>(क) मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम 8-10 मिलियन फ्राई वार्षिक उत्पादन क्षमता के हैचरी की इकाई लागत ₹15.00 लाख निर्धारित है। जिसका 50 प्रतिशत अनुदान। स्वलागत अथवा बैंक ऋण अनुमान्य। हैचरी का निर्माण न्यूनतम तीन एकड़ भूमि में। <p>(ख) नए तालाब के निर्माण की योजना :-</p> <ul style="list-style-type: none"> इकाई लागत ₹6.972 लाख/प्रति हेक्टेयर। 50 प्रतिशत अनुदान। स्वलागत अथवा बैंक ऋण अनुमान्य। <p>(ग) ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना :-</p> <ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम एक एकड़ जलक्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब। ट्यूबवेल की इकाई ₹50,000.00 तथा पम्पसेट की इकाई लागत ₹25,000.00 50 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य। स्वलागत अथवा बैंक ऋण अनुमान्य। 	तथैव।
5	सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना	<ul style="list-style-type: none"> दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी अपंगता होने पर उनके आश्रित को 2.00 लाख ₹0, अस्थायी अपंगता होने पर 1.00 लाख ₹0 तथा अस्पताल में चिकित्सा व्यय स्वरूप 10.00 हजार ₹0 अनुमान्यता। शत प्रतिशत अनुदानित। 	<ul style="list-style-type: none"> मत्स्यजीवी सहयोग समिति कि सक्रिय सदस्य आयु सीमा 18-70 वर्ष।
6	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए विशेष योजना	<ul style="list-style-type: none"> नर्सरी तालाब का निर्माण:- 50 डिसमल क्षेत्रफल में नर्सरी तालाब का निर्माण। इकाई लागत 1.51 लाख। 90 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य। ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन :- ट्यूबवेल की इकाई ₹50,000.00 तथा पम्पसेट की इकाई लागत ₹25,000.00 90 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य। प्रशिक्षण:- अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए दस दिवसीय तकनीकी मत्स्य प्रशिक्षण जिला मुख्यालय में शतप्रतिशत अनुदानित। 	जाति एवं आय प्रमाण पत्र

‘सभी मत्स्य कृषक/मछुआ भाईयों से निवेदन है कि उपर्युक्त योजनाओं का लाभ तथा विस्तृत जानकारी हेतु अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्यकार्यपालक पदाधिकारी से संपर्क करें।’